(164)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 415/पीबीआर/98 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.1998 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर अपील प्रकरण क्रमांक 216/96-97.

अनिल रिजवानी हिन्द कान्ट्रेक्टर एंड कंपनी
172, जयरामपुर कॉलोनी इंदौर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर जिला खरगौन, म.प्र. .....प्रत्यर्थी

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 5-1-1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 12 मोयदा तहसील पानसेमल द्वारा तहसीलदार पानसेमल के समय इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम वागंरा में तालाब के निर्माण कार्य में ठेकेदार मै. हिन्द कॉन्ट्रेक्टर एण्ड कंपनी इंदौर द्वारा ग्राम मोयदा की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 87/1 रकबा 2.20 व सर्वे नम्बर 102/1 रकबा 11.03 में से अवैध से 10 ट्रेक्टर पत्थर एवं 125 ट्रेक्टर रेत बिना स्वीकृति व बिना रायल्टी के उत्खनित कर निर्माण कार्य किया गया है। तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी के माध्यम से प्रतिवेदन अपर कलेक्टर, जिला खरगौन को प्रेषित किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-67/96-97 दर्ज कर दिनांक 30.04.1997 को आदेश पारित कर अपीलार्थी पर 25,000/- रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा

दिनांक 05.01.1998 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अपर कलेक्टर ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट एवं कथन के आधार पर अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित की गई है। यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों के समझे बिना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वह साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है और प्रकरण के प्रमाण भार शासन पर हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा बनाये गये पंचानामों में 5 व्यक्तियों के नाम दिये हैं, वे किस व्यक्ति के लिए खनिज खनन कर रहे थे, यह सिद्ध करने का भार शासन पर था, किन्तु उन व्यक्तियों के कथन न तो पटवारी द्वारा लिया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय में उनके कथन कराये गये, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपलार्थी के विरूद्ध प्रकरण सिद्ध होना मानते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित अवैधानिकता की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से प्रतिवेदन अनुसार अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानने में भूल की गई है और अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पटवारी के कथन, पंचनामा एवं साक्ष्य से सिद्ध है कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी स्वीकृति एवं रॉयल्टी के प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है । अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई भूल नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.1998.स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर